NOTICE – GENERAL

(No. Ref REG./GEN/08 22 October 2020)

उ०प्र० शासन की दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेत आवश्यक सूचना (सत्र 2020–21)

(अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु)

Important Information regarding Postmatric Scholarship & Fee Reimbursement (2020-21)

(For SC/ST, OBC, GEN, and Minority Students)

सत्र 2020–21 हेतु उ०प्र० शासन द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (Postmatric Scholarship & Fee Reimbursement) को प्राप्त करने हेतु आनलाइन आवेदन करते समय आधार की समस्या आने के निस्तारण हेतु शासन ने ओ0टी0पी0 आधारित जन सांख्यिकीय प्रमाणीकरण (Demographic Authentication) हेतु तीन अतिरिक्त अवसर प्रदान किये है। इस सम्बन्ध में शासन के पत्रांक सी–3375/स0क0/छात्रवृत्ति/2020–21 दिनांक 21 अक्टूबर 2020 का अवलोकन करें।

उपरोक्त पत्रांक सूचना के साथ संलग्न।

आज्ञा से,

(डा0 सतीश चन्द)

कुलसचिव 22/10/2020

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
लखनऊ।

सेवा में,

कुल सचिव/निदेशक/प्रबन्धक
समस्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/टेक्निकल/
मेडिकल/पैरा मेडिकल/इंजीनियरिंग/पालीटेक्निक/
आई0टी0आई0 संस्थान।

पत्रांक/3375 /स0क0/छात्रवृत्ति/2020-21 दिनांक 21 अक्टूबर 2020

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूर्वदशम (कक्षा-9-10) एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के आनलाइन आवेदन पत्रों में आधार प्रमाणीकरण हेतु निर्धारित तीन बार से अधिक सुविधा प्रदान किये जाने एवं स्पेलिंग संबधी गलती को लागिन से सत्यापित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया निदेशालय समाज कल्याण उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-सी-1875 दिनांक 19.10.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि आधार प्रमाणीकरण के लिए छात्र को तीन अवसर देते हुए इस आशय की चेतावनी छात्र/छात्रा को आधार नम्बर भरते समय छात्रवृत्ति वेबसाईट प्रदर्शित हो रही है तथापि कई छात्र/छात्राओं द्वारा प्रथम तीन अवसरों पर आधार नम्बर /छात्र/छात्रा का सही नाम/सही जन्मतिथि के अंकन करने के कारण आनलाइन आवेदन पूर्ण करने में अवरोध आ गया । इसको दृष्टिगत रखते हुए छात्र हित में शासन के आदेश दिनांक 01.10.2020 द्वारा आधार प्रमाणीकरण में छात्र का आधार नम्बर, नाम एवं जन्म तिथि सहित आधार लिंक मोबाईल नम्बर पर ओ0टी0पी0 आधारित जन सांख्यिकीय प्रमाणीकरण (Demographic Authentication) होने के लिए छात्र को प्रथम तीन अवसर पूर्ण करने के पश्चात और तीन अवसर दिया गया है । यह अतिरिक्त तीन अवसर प्रथम तीन अवसरों को पूर्ण करने के बाद आवेदन पत्र न भर पाने के स्थिति में तीन दिन के आद (72 घन्टे के उपरान्त) उपलब्ध होगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में छात्र/छात्राओं को अपने स्तर से अवगत करा दें आधार प्रमाणीकरण हेतु प्रथम तीन अवसर समाप्त के उपरान्त पुनः 72 घटें के पश्चात 03 अतिरिक्त अवसर ही मिलगें।

भवदीय

(डॉ0 अमर नाथ यति)
जिला समाज कल्याण अधिकारी
लखनऊ

पृष्ठांकन सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, लखनऊ।
4. उपनिदेशक, समाज कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ अपने स्तर से समस्त विद्यालयों को सूचित कराने का कष्ट करें।
6. उपनिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग जनपद लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
लखनऊ